रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

10 JAN 1974

सं० 6] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 1974/पौष 13, 1895
No 6] NEW DELHI, THURSDAY JANUARY 3, 1974 PAUSA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January 1974

S.O. 12(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information—

DECLARATION

Bye-election to the House of the People from the 42-Karad Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

Chavan Premalabai Dajisaheb (Name)
243-D 3/2 Shaniwar Peth, Karad, District Satara. (Address)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Chavan Dajisaheb Ramrao.

Place: Satara.
Date: 21st December, 1973.

(Sd.) S. R. KAKODKAR.
Returning Officer.
42-Karad Parliamentary Constituency.
(Maharashtra State."

[No. F. 13(1)/73-Leg.II]
S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1974

का०आ० 12(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

घोषणा

महाराष्ट्र राज्य में 42—कराड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि चव्हाण दाजीसाहेब रामराव की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए चव्हान प्रभिलाबाई दाजीसाहेब (नाम) 243—बी—3/2 शनियार पेठ, कराड़ जिला—सतारा (पता), सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

(ह०) ए स० आर० काकोडकर,
रिटर्निंग आफिसर,
42, कराड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(महाराष्ट्र राज्य)।"

स्थान : सतारा
तारीख : 21 दिसम्बर, 1973

[सं० एफ० 13(1)/73-विधा० II]

एम० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974